आयोजनेत्तर

संख्या-22/2016/878/18-4-2016-59(विविध)/15

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 18जुलाई,2016

विषय- उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 की लम्बित देनदारी एवं अंशपूजी के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 लखनऊ के पत्र संख्या-सेक/ईस्ट/अधि0/2016-17/388, दिनांक 10-05-2016 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 लखनऊ की लम्बित देनदारी एवं कार्यशील पूंजी (अंश पूंजी) हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 5.00 करोड़ (रूपये पांच करोड) मात्र का ऋण निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0सं0	मद	धनराशि (लाख रू0 में)
1.	सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देनदारी के भुगतान हेतु ।	127.47
2.	गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष 31/29 हजरतगंज लखनऊ के बकाया किराये के भुगतान हेतु ।	115.00
3.	मुम्बई स्थित गंगोत्री प्रदर्शनकक्ष का 2015 तक का देय बकाया कामन आउट गोइंग के भुगतान हेतु ।	193.00
4.	कार्यशील पूंजी (अंश पूंजी) हेतु ।	64.53
	योग	500.00

(रू0 पांच करोड़) मात्र

2-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

3-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 लखनऊ के सक्षम अधिकारी की मांग पर आहरित की जायेगी उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत कार्यो पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्डस ऑफ फाईन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

7-प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

9- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक की अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-"6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज-आयोजनेत्तर-104-हस्तशिल्प उद्योग-03-उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 को ऋण-30-निवेश/ऋण " के नामे डाला जायेगा।

10-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6/ /दस-2016, दिनांक मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-22/2016/878(1)/18-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-I)/सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।
5-प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।